न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प 5 टीके

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 60 / 2012
सीसीएमएस : 2012 / 00030

1. सुखदेवसिंह पुत्र श्री चनणसिंह जाति मेहरा साकिन 19 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

1. बलवीरसिंह पुत्र श्री चनणसिंह जाति मेहरा साकिन 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
2. सुखविन्दकौर पत्नी श्री बलवीरसिंह जाति मेहरा साकिन 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
3. सुखवन्तसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति मेहरा साकिन 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
4. जसवन्तसिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति मेहरा साकिन 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
5. रेशमसिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति मेहरा साकिन 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 183–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण **रजू दिनांक 04.06.2012**

1. **श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता वादी**
2. **श्री अजय धारणियां प्रति. 1 ता 5**

–: निर्णय :– दिनांक : 19.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की वाके चक 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 283 / 345 मु.नं. 30 के कि.नं. 13 / 1 की 0.127 है., 14 ता 15, 17 व 18 प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.139 है. खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से है जिस पर वादी को हर प्रकार का हक–हकूक व अधिकार हासिल है और वादी ही विधिक रूप से उक्त रकबा को उपयोग–उपभोग कर पाने का विधिक अधिकारी है किसी अन्य को वादी के रकबे के किसी भी भाग पर वादी की अनुमति व सहमति क बिना उपयोग–उपभोग करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। उक्त खाता में शेष भूमि कि.नं. 16–24–25–23 / 1 की 0.885 है का खातेदार कश्मीरसिंह पुत्र श्री चनणसिंह है जिससे वादी का कोई विवाद नहीं है इसलिएये उसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है कश्मीरसिंह का खाता अलग है। प्रति.सं. 1 बलवीरसिंह की भूमि उक्त मु.नं0 30 में ही पड़ती है जो वादी का खेत पड़ोसी है। प्रति.सं. 2 प्रति.सं. 1 की पत्नी व प्रति. सं. 3 ता 5 प्रति. सं. 1 के पुत्रगण है प्रतिवादीगण झगड़ालू–विवादी प्रवृति के है और उन्होने वादी के विरूद्ध नाजायज पार्टी बना रखी है और वादी को हमेशा हर तरीके से नाहक हेरान परेशान करते रहते है और नुकसान पहुंचाने के प्र[illegible]सी होने के कारण प्रतिवादीगण खेती को लेकर वादी को तंग परे[illegible] और जानबुझकर खेत की मध्यवाली सीमा बट को आगे–पीछे कर दे[illegible] परेशान करने के साथ–साथ कृषि कार्यों में बाधा [illegible] है ताकि वादी [illegible] छोड़ दे या कम कीमत पर उन्हे बेच दे। वादी का एक पुत्र [illegible] नोकरी करता है और दूसरा पुत्र बाहर नोकरी करता है वादी अकेला खेती [illegible] अकेला देखकर प्रतिवादीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है जिन्होने 2–3 [illegible] बट (मध्यवाली सीमा) जो वादी के कि. नं. 14 प्रतिवादी सं. 1 के कि.नं. 7 के मध्य थी को जानबुझकर वादी के कि.नं. 14 पर कब्जा (अतिक्रमण) नाजायज करने के आशय से कि.नं. 14 के करीबन 20–25 फुट तक अंदर तक ले गये ओर छपपरा डाल दिया तब वादी ने ओलमा देते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अतिक्रमण हटाकर सीमा कि.नं. 7 व 14 के मध्य बनाने के लिये कहा तो बहेद नाराज हो गये और अतिक्रमण पुख्ता करने के आशय से पक्का निर्माण करने की कुचेष्टा प्रारंभ की है और वादी की भूमि से अतिक्रमण हटाने से टालमटोल कर रहे है ओर वादी को अकेला देखकर हमेशा नजायज हथियारों से लेश रहते है ओर वादी कि.नं. 14 मे कृषि कार्य करने का प्रयास करता हे व पानी लगाने का प्रयास करता है तो डराते धमकाते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं0. 1 ता 5 ने बिना किसी अधिकार व हक–हकूक तथा वादी की अनुमति व सहमति के बिना कि.नं. 14 के कुछ भाग पर अतिक्रमण कर लिया ओर समस्त कि.नं. 14 के कृषि कार्य को बाधित कर शेंष कि.नं. 14 के रकबा पर भी अतिक्रमण का प्रयास कर रहे है उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है ना ही उपयोग–उपभोग करने के अधिकरी है। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को अतिक्रमी घोषित करवा पाने का विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के उक्त कृत्य के कारण वादी अपने उक्त कि.नं. 14 की सिंचाई व कृषि कार्य करने मे असमर्थ हो गया है ओर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बिना अधिकार उक्त रकबा पर अतिक्रमण कर बतौर अतिक्रमी नाजयज लाभ उठा रहे है और वादीगण को लाभ से वंचित कर दिया है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 से प्रचलित दर से ठेका राशि 10000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से बतौर हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है और प्रतिवादीगण अदायेगी के लिये उतरदायी व जिम्मेवार है। वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 से कई दफा अनुरोध पंचायत के जरीये किया कि वे विवादित रकबा अतिक्रमण हटाते हुये कब्जा वादी को सुपुर्द करे व अतिक्रमण दोरान की ठेका राशि बतौर हर्जाना वादी को सुपुर्द करें। अतिक्रमण दोरान की ठेका राशि बतौर हर्जाना वादी को अदा करें तो वे प्रथमतः टालमटोल के पश्चात अंततः दिनांक 3.06.2012 बमुकाम 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर में ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गया ओर वादी के समस्त रकबा पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी, यही तारीख पेदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखात्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद लाने के अलावा अन्य कोई चारा शेष न रहने पर वाद पेश किया जा रहा है। प्रविादी सं. 6 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। इसलिए उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क दो रूपये की कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। कि प्रविादीगण सं. 1 ता 5 को वादी के रकबा वाके चक 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के पं नं. 283/345 मु.नं. 30 के कि.नं. 14 के कुछ भाग पर नाजायज कब्जा होने से उन्हे अतिक्रमी घोषित करते हुये अतिक्रमण हटाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। वादी को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 से उक्त कि.नं. 14 की ठेका राशि बतोर हर्जाना 10000/– रूपये की दर से कब्ज प्राप्ति तक दिलाई जावें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाये जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की तरफ से श्री अजय धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दावा में अंकित किया है कि चक 16 पीटीडी का मु.नं. 30 पंनं. 283/345 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 है. नहरी गोकलचन्द्र वल्द मोहरीराम जाति अरोड़ा साकिन 2 [illegible] बतौर भाखड़ा भूमिहीन पुख्ता आवंटन हुई थी जिसकी जिसमें से कि.नं. [illegible] 7 [illegible]म–सालम 13/0.127, 14 ता 18 सालम–सालम, 23/126, 24–25 [illegible] कुल 3.036 है. नहरी खातेदारी गोकलचन्द्र के नाम [illegible] की गई जिस[illegible] खातेदारी इन्तकाल संख्या 170 दिनांक 27.09.2008 को [illegible] इस उक्त खातेदारी भूमि तदादी 3.036 है[illegible] 30 के कि.नं. 23/0.127 है नहरी जिसकी खातेदारी आवंटी गोकलचन्द्र को प्रा[illegible] नहीं हुई को शामिल करते हुए कुल 12.10 बीघा भूमि को खरीद करने का सौदा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता चनणसिंह ने किया था तथा जब गोकलचन्द्र के नाम उक्त 3.036 है. नहरी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

खातेदारी भूमि की आ गई तो गोकलचन्द्र ने अपनी उक्त 3.036 हैक्टर नहरी में से वादी के नाम इस धारा में अंकित किलाजात की रजिस्ट्री कुल भूमि 1.139 हैक्टर का बैयनामा वादी के नाम निष्पादित करवाकर पंजीवद्ध करवा दिया तथा शेष भूमि मे से कि.नं. 16–24–25–23/1 में 0.126 है. कुल 0.885 हैक्टर वादी व प्रवितादी सं. 1 के भाई जसवीरसिंह के नाम तथा मु.नं. 30 कि.नं. 4 ता 7 सालम–सालम कुल 1.012 है. प्रतिवादी सं 1 की पत्नी यानि प्रतिवादी सं. 2 के नाम जरिये बैयनामा दिनांक 24.04.2009 को निष्पादित होकर पंजीवद्ध हुआ तथा इस मु.नं. 30 के कि.नं. 23 के 0.127 है. जरे गोकलचन्द्र केनाम गैर खातेदारी रहा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद की थी की बाबत वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व उनके भाई कश्मीरसिंह ने इस कि.नं. 23 के आधा बीघा को नियमन करवाने बाबत समस्त राशि श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के जमा करवाने के बाद गोकलचन्द्र के नाम से इस शेष रही कि.नं. 23 के 0.127 है. को नियमन किया जाकर मूल मालिक गोकलचन्द्र के नाम इस आधा बीधा की खातेदारी जारी की गई लेकिन वादी तथा प्रतिवादी स. 1 ने इस 0.127 है. का बैयनामा कशमीरसिंह के नाम गोकलचंदके मुखत्यारआम बिरसासिंह द्वारा निष्पादित करवाकर पंजीवद्ध करवा दिया गया है जिसमें यह तैय पाया था कि जो मु.नं. 30 के कि.नं. 23 के 0.127 है भूमि का बैयनामा कशमीरसिंह के नाम हुआ है उसमें मुझ प्रविादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के हिस्सा में 0.042 है. भूमि आई है वह हिस्सा वादी अपने नाम कि.नं. 14 मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 को देगा तािा उसी अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 कि.नं. 14 में 0.042 है. पर सन् 1980 से काबिज है तथा कि.नं. 14 के उतर की तरफ कि.नं. 7 के साथ पिता हुआ जो कि.नं. 7 वादी का है 0.042 है में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपनी रिहायशी ढाणी बना रखी है तथा 1980 से लेकर आज दिन तक हम प्रतिवादी सं. 1 ता 5 इस ढाणी का उपयोग व उपभोग कर रहे है लेकिन इस तथ्य को वादी ने न्यायालय के समक्ष छुपाया है। वादी का यह कथन सरासर झूठ पर आधारित है कि प्रतिवादीगण ने वादी के कि.नं. 14 व 7 के साथ 20,25 फुट पर अरसा दो तीन माह पूर्व अतिक्रमण किया है जबकि वास्तविक तथ्य है कि हम प्रतिवादीगण का कि.नं. 14 मे 0.042 है. पर 1980 से कब्जा है तथा रिहायशी ढाणी है तथा इस भूमि के बदले हम प्रतिवादीगण यानि प्रतिवादी 1 व 2 ने व उनके हकीकी भाई कशमीरसिंह ने जो कि.नं. 23 मे वादी का 0.042 हैक्टर रकबा बनता था उस हिस्सा की रजिस्ट्री पूर्व में ही वादी के नाम जरिए बैयनामा करवायी जा चुकी है क्योकि जो वादी का प्रतिवादी सं. 1 के पिता चनणसिंह ने 12.10 बीघा भूमि खरीद की थी उसमें हम तीनों को बहिस्सा बराबर था लेकिन जब गोकलचन्द द्वारा बैयनामा करवाया गया तो उस समय वादी के नाम 1.012 है. की बजाय 1.139 है का बैयनामा करवा दिया था। इसलिए वादी को हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोइ वाद कारण प्राप्त नहीं है। वादी का कि.नं. 14 पर 1980 से आज दिनांक तक कब्जा नहीं है हम प्रतिवादीगण की रिहायशी ढाणी बनी हुई है इसलिए हम प्रतिवादीगण कि.नं. 14 में 0.042 है. के खातेदार घोषित है। अन्य अतिरिक्त आपतियां एवं काउंटर क्लेम मे पेश किया है कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 कि.नं. 14 मे 0.042है. पर सन् 1980 से काबिज है तथा इस कि.नं. 14 के उतर की तरफ कि.नं. 7 के साथ चिपता हुआ जो कि.नं. 7 वादी का है 0.042 है. में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने अपनी रिहायशी ढाणी बना रखी है तथा 1980 से लेकर आज दिन तक हम प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 इस ढाणी का उपयोग व उपभोग कर रहे है लेकिन इस तथ्य को वादी ने न्यायालय के समक्ष छुपाया है [illegible] इस कि.नं. 14 के 0.042 है. की बाबत 1980 से लेकर वाद पेश करने तक कभी भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है इसलिए हम प्रतिवादीगण इस 0.042 है के 1980 से कब्जाधारी होने के कारण खातेदार हो चुके है। जवाब दावा व काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद वादी वर्तमान सूरत में खारिज किया जाकर हम प्रतिवादीगण को चक 16 पीटीडी बी का मु.नं. 30 पं.नं. 283/345 के कि.नं. 14 में 0.042 है. कि.नं. 7 के साथ चिपता हुआ का सन 1980 से लेकर आज दिनांक तक कब्जा होने व रिहायशी ढाणी होने के कारण खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:03 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

[हमने] प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि विवादित भूमि चक 16 पीटीडी बी के मु.नं. 30 पं.नं. 283/345 के कि.नं. 13/1 में 0.127, 14 ता 15, 17 व 18 प्रत्येक .253 है. कुल 1.139 है. भूमि खातेदारी भूमि है। -:वादी
2. आया कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि चक 16 पीटीडी बी के मु.नं. 30 पं.नं. 283/345 के कि.नं. 14 के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने का अधिकारी है। -:वादी
3. आया कि प्रतिवादी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है तथा वादी रूपये 10000 प्रति बीघा की दर से बतौर हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है। -:वादी
4. आया कि विवादित भूमि मु.नं. 30 के कि.नं. 14 में जवाब दावा की अतिरिक्त मदो में 0.042 है. भूमि पर कब्जा रखने का अधिकारी है। -:प्रतिवादीगण
5. अनुतोष।

4 वादी सुखदेवसिंह ने साक्ष्य वास्ते शपथ पत्र दिनांक 16.08.2021 पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। भूमि की जमाबंदी प्रदर्श-1 है। जिरह वकील प्रतिवादी की गई।

5 हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकीसंख्या (A) आया कि विवादित भूमि चक 16 पीटीडी बी के मु.नं. 30 पं.नं. 283/345 के कि.नं. 13/1 में 0.127, 14 ता 15, 17 व 18 प्रत्येक .253 है. कुल 1.139 है. भूमि खातेदारी भूमि है। -:वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी जो **EX**-1 है के अनुसार पं.नं. 283/345 मु.नं. 30 के कि.नं. 13/1 की 0.127 है. 14 ता 15 सालम व 17 व 18 सालम प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.139 है. भूमि सुखेदवसिंह पुत्र चमणसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.07.2012 को सीमाज्ञान करवाया गया। दैनिक डायरी की प्रतिलिपि शामिल मिसल है। जिसमें सुखदेवसिंह की अगूठा निशानी व मौके पर उपस्थित काश्तकारों के हस्ताक्षर है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर इस तनकी को सिद्व करने में वादी सफल रहे हैं अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकीसंख्या (B) आया कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि चक 16 पीटीडी बी के मु.नं. 30 पं.नं. 283/345 के कि.नं. 14 के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने का अधिकारी है। -: वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था मु.नं. 30 का कि.नं. 14 राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी सुख[illegible] प्रतिवादी स. 1 द्वारा उस पर विधि विरूद्व कब्जा किया है। वादी [illegible]री भूमि के कि.नं. 14 से प्रतिवादीगण का अति[illegible] [illegible] तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है तथा वादी रूपये 10000 प्रति बीघा की दर से बतौर हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है। -:वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी जो प्रदर्श-1 है के अनुसार कि.नं. 14 वादी सुखदेवसिंह का दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। प्रतिवादी कि.नं. 14 के

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:03 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

पूरे भाग पर अतिक्रमी नहीं होकर कुछ हिस्सें पर अतिक्रमी है। इसलिए वर्ष 2012 से 2023 तक कुल 9 वर्ष के 5000/– पांच हजार रूपये प्रतिवर्ष दर के हिसाब से 45000/– रूपये वादी प्रतिवादीगण से बतौर हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी है। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि विवादित भूमि मु.नं. 30 के कि.नं. 14 में जवाब दावा की अतिरिक्त मदों में 0.042 है. भूमि पर कब्जा रखने का अधिकारी है । –:प्रतिवादीगण

इस तनकी के अनुसार मु.नं. 30 के कि.नं. 14 में 0.042 है. भूमि पर कब्जा प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार कि.नं. 14 वादी के नाम है। प्रतिवादी अतिक्रमी की हैसियत से प्रतिवादी उक्त भूमि पर कब्जा रखने का अधिकारी नहीं है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) अनुतोष।

तनकी संख्या 1 ता 4 बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जा पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 4 बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

–:क्रियात्मकआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 183–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। चक 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 283/345 मु.नं. 30 के कि.नं. 14 राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी सुखदेवसिंह का है जिस पर वह कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी की हैसियत से कि.नं. 14 पर काबिज है। प्रतिवादीगण कब्जा बनाये रखने के अधिकारी नहीं है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का कि.नं. 14 से अतिक्रमण हटवाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करें। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:03 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner